न्यायालय जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 गौरव सैनी

प्रा0पत्र (मुन्तकील)संख्या– 18/24 तारीख रज्जू–05/07/24

1 बाबूलाल पुत्र परसादी जाति मीना निवासी कोयला तहसील बामनवारा।
2 माया पत्नि राधेश्याम जाति मीना निवासी कोयला तहसील बामनवास।
3 सपना पुत्री राधेश्याम जाति मीना निवासी कोयला तहसील बामनवारा।
4 अपना पुत्री राधेश्याम जाति मीना निवासी कोयला तहसील बामनवारा।
5 कल्पना पुत्री राधेश्याम जाति मीना निवासी कोयला तहसील बामनवारा।
6 सूरज पुत्र राधेश्याम जाति मीना निवासी कोयला तहसील बामनवास।

—— प्रार्थी

बनाम

1. सतवीर पुत्र प्रेमराज जाति मीना निवासी कोयला तहसील बामनवारा।
2. शांति देवी पत्नि प्रेमराज जाति मीना निवासी कोयला तहसील बामनवारा।
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बामनवारा। – अप्रार्थी

उपस्थित
1. अधिवक्ता हरिशंकर शर्मा– प्रार्थी पक्ष
2. अधिवक्ता सन्तोष कुमार – अप्रार्थी पक्ष

निर्णय दिनांक– 10.09.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 12/2023 उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबूलाल बनाम सतवीर का अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करने बाबत् प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलब की गयी तथा अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर तथा अदालत मातहत से टिप्पणी प्राप्त होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाल देते हुए बहस में निवेदन किया है कि न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास में वाद संख्या 12/2023 उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबूलाल बनाम सतवीर विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों पर दबाव बनाकर उक्त प्रकरण को अप्रार्थीगण के द्वारा मनचाहे फैसले कराने के लिए दबाव बना रहे है। दिनांक 02.07.2024 को उभय पक्षकारान की उपस्थिति में वर्णित आदेशिका जिसमें निम्न तथ्य अंकित है " वकील उभय पक्ष उप0। प्रार्थी वकील की आपत्ति प्रार्थना पत्र व उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की आपत्ति प्रार्थना पत्र अस्वीकार की जाती है , क्योंकि न्यायालय हाजा द्वारा जारी आदेश कमांक 45 दिनांक 11.03.2024 में तहसीलदार स्वयं की उप0 में मौका रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था जिसकी पालना की गयी। मौका रिपोर्ट स्पष्ट है।" जिससे ही स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का अपने अधिवक्ता के द्वारा सही पैरवी नही करने एवं पत्रावली से सम्बन्धित अधिकारी पर अप्रार्थीगण द्वारा पूर्ण रूप से दबाव बनाकर पत्रावली का विस्तारण अप्रार्थीगण के पक्ष में कराने की ऐलानिया धमकी दे रहे है। साथ ही वकील प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अदालत मातहत के प्रकरण सं0 12/2023 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

10/9/24

बाबूलाल बनाम सतवीर का अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र झूठें एवं निराधार तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अदालत मातहत की आदेशिका के अनुसार दिनांक 09.04 2024 को प्रार्थी ने गौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की थी। जिसमें दिनांक 21.05.2024 को अदालत मातहत द्वारा गौका रिपोर्ट आपत्ति पर बहस सुनी गई थी तथा दिनांक 02.07.2024 को अदालत मातहत द्वारा गौका रिपोर्ट आपत्ति प्रार्थना पत्र पर निर्णय सुना दिया गया था। जिससे स्वतः ही स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा प्रार्थी पक्ष को पूर्ण अवसर प्रदान करने के पश्चात् ही निर्णय पारित किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र किस नियम के तहत श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह कही भी अंकित नहीं किया हुआ है।

उपजिला कलेक्टर बामनवास की टिप्पणी का अवलोकन किया गया। उक्त टिप्पणी के अनुसार उप जिला कलेक्टर बामनवास ने अवगत कराया है कि तहसीलदार बामनवास की ओर से प्राप्त गौका रिपोर्ट पर वकील सायल की ओर से आपत्ति पेश की गयी। दिनांक 02.07.2024 को वकील सायल की ओर से पेश आपत्ति पर सुना जाकर आपत्ति का निस्तारण कर वकील सायल की ओर से पेश आपत्ति खारिज की गयी, साथ ही उप जिला कलेक्टर बामनवास ने अवगत कराया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 235 आरटीएक्ट में लगाये गये आरोप बेबुनियाद एवं निराधार है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई, उस पर मनन किया गया व सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नहीं होती है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत गौका रिपोर्ट आपत्ति प्रार्थना पत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है। जो स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का उचित कारण प्रतीत नहीं होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण साक्ष्य, सबूतो एवं दस्तावेजात के आधार पर किया जाता है,किसी के दबाव अथवा व्यवहार से नहीं किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण की विधिवत सुनवायी की जा रही है। वकील प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर लगाये आरोपों की पुष्टि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नहीं होती है। इसलिए उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

10/9/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी